न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00032/2019/75

1. श्रीमती दरियाव कंवर पुत्री स्व0 देवीसिंह पत्नि सज्जनसिंह,
2. लालसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह,
3. चन्द्रसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी भाटी की डांग, गणेश मंदिर, फॉय सागर रोड़, जी.सी.—2, ग्राम बोराज, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नौरतमल पुत्र बाबूलाल कंसारा, जाति कंसारा, निवासी छोटा बाजार, मु0पो0 गोविन्दगढ़, वाया पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भु—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश कमांक 3 ख अ/राजस्व कुआं, नियम 95 दिनांक 31.5.1995 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर .

उपस्थितः—

1. श्री एल0एन0 माथुर, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 12.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.5.1995 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने आदेश कमांक 3 ख अ/राजस्व कुआं, नियम 95 दिनांक 31.5.1995 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 नौरतमल को ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील पीसांगन जिला अजमेर की भूमि खसरा संख्या 2005 रकबा 5 बिस्वा का कुआं का नियमन आदेश पारित कर गैर खातेदारी के रूप में नियमन कर 10 वर्ष तक लीजमनी जमा कराने के पश्चात् स्वतः खातेदार होने के आदेश प्रदान किये । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के नियमन आदेश दिनांक 31.5.1995 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी नियमन आदेश दिनांक 31.5.1995 न्याय, नियम एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उपखण्ड अधिकारी, कैम्प गोविन्दगढ़, जिला अजमेर के समक्ष पेश आवेदन पत्र किसी बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं पेश शुदा होने से उक्त आवेदन के परिपेक्ष्य में रेस्पो0 नौरतमल के नाम किया गया नियमन आदेश नियम 10 राजस्थान भू—राजस्व (सिचांई

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 में प्रदत्त आज्ञापक नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, अजमेर के लिए टिप्पणी देने में भारी भूल की है क्योकि आवेदन बाबूलाल के हस्ताक्षर से नौरतमल के द्वारा पेश किया गया था जिस पर नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । प्रपत्र ''ख'' (नियम–9) दिनांक 31.5.1995 निवेदन बाबूलाल के हस्ताक्षर से जिस पर उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी सरपंच ग्राम पंचायत, गोविन्दगढ़ को जांच रिपोर्ट करने तथा सहमति/असहमति व्यक्त करने एवं उक्त प्रपत्र पर सरपंच की अनापत्ति तथा उक्त प्रपत्र की पुस्त पर पटवारी गोविन्दगढ़ की रिपोर्ट जिसमें खसरा नंबरान का अंकन तथा प्रार्थी बाबूलाल क कब्जे का अंकन कर दी गई और नौरतमल का हवाला देते हुए दी गई, नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आदेश जेर अपील से पूर्व आवंटन/नियमन के लिए किसी प्रकार की उद्घोषणा जारी नहीं कर नियम विरूद्ध कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है । नियमन किया गया खसरा संख्या 2005 (1630) रकबा 5 बिस्वा किस्म चाह के समीप खसरा नंबर 1629 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म–चाही–2, खसरा संख्या 1632 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म चाही–2 व खसरा संख्या 1649 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही–2 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन के राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार स्व0 देवीसिंह पुत्र शोनाथसिंह के नाम दर्ज थी । खातेदार देवीसिंह पुत्र शोनाथ के वारिसान बन्नेसिंह, शक्तिसिंह, लालसिंह, चन्द्रसिंह पुत्रगण देवीसिंह तथा दरियाव कंवर पुत्री देवीसिंह है। खातेदार देवीसिंह के स्वर्गवास सन् 1972 को होने के पश्चात् विरासत बन्नेसिंह, शक्तिसिंह, लालसिंह के नाम स्वीकृत हुई । उक्त नामांतकरण के आधार पर अंकित वारिसानों द्वारा आराजी का पंजीबद्ध बेचान रेस्पो0 नौरतमल को किया गया तथा नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 6.9.1996 स्वीकृत हुआ । इस पंजीकृत विक्रय पत्र में किसी पप्पुसिंह नाबालिग का हिस्सा बेचान किया है जिसका नामांतकरण संख्या 26 में नाम दर्ज नहीं है । खातेदार स्व0 देवीसिंह के अन्य वारिसान द्वारा नामांतकरण संख्या 26 दिनांक 11.10.1997 एवं नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 6.9.1996 के विरूद्ध कलक्टर, अजमेर के समक्ष दो अपीलें क्रमश 38/2005 एवं 41/2005 उनवानी चन्द्रसिंह बनाम बन्नेसिंह व अन्य पेश की गई । दोनो अपीलें समायोजित की जाकर आदेश दिनांक 5.4.2006 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 26 दिनांक 11.10.1997 एवं नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 6.9.1996 खारिज करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये गये । प्रकरण प्रतिप्रेषित होने पर तहसीलदार, पीसांगन ने मु0नं0रिमाण्ड 1/2006 निर्णय दिनांक 24.5.2006 द्वारा नामांतकरण संख्या 26 व 5 पूर्णरूप से निरस्त कर आराजी खसरा नंबर 1432, 2004, 2008 व 2017 कुल किता 4 रकबा 20–11–00 भूमि मृतक खातेदार देवीसिंह के स्थान पर मुताबिक सजरा श्रीमती सुन्दर कंवर, बन्नेसिंह, शक्तिसिंह, लालसिंह व दरियाव कंवर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान कर दी । जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 821 दिनांक 9.6.2009 स्वीकृत किया गया है रेस्पो0 नौरतमल द्वारा तहसीलदार, पीसांगन के निर्णय दिनांक 24.5.2006 से असंतुष्ट होकर अपील संख्या 54/2006 न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष पेश की गई जो निर्णय दिनांकं 29.6.2007 को एकपक्षीय आदेश दिया जाकर स्वीकार की गई है । न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश दिनांक 29.6.2007 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

संख्या 7057/2017 पेश की गई जो विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 7.2.2019 नियत है जिसमें माननीय मण्डल द्वारा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के पारित किये जिसका नोट नामांतकरण रजिस्टर पटवार हल्का गोविन्दगढ़ में अंकित है । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प गोविन्दगढ़ के समक्ष प्रस्तुत नियमन आवेदन पत्र राजस्व भू–राजस्व(सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम 1979, नियम 9 व 10 के विपरीत होने से नियमन आदेश दिनांक 31.5.1995 निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांटस नियमन आदेश से प्रभावित एवं हितबद्ध होने से यह अपील पेश की है । अपीलांट अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं थे ना ही आदेश की जानकारी थी । अपीलाधीन आदेश विधि एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 3 ख अ/राजस्व कुआं, नियम 95 दिनांक 31.5.1995 निरस्त किया जावे तथा विवादित चाह का आवंटन/नियमन अपीलांट को सूचित एवं सुनवाई कर किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण आराजी जेर अपील में हितधारी एवं प्रभावित पक्षकार है जिन्हें उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है । खसरा नंबर 2005 रकबा 5 बिस्वा किस्म चाही–का नियमन रेस्पो0 नौरतमल के पक्ष में इस आधार पर किया गया है कि रेस्पो0 नौरतमल के समीप के खसरा नंबरान का खातेदार है जबकि अपीलांटस समीप के खसरा नंबरान के खातेदार होने से नियमन के पात्र होकर हितबद्ध पक्षकार है । रेस्पो0 संख्या 1 नौरतमल गोविन्दगढ़ का निवासी है तथा उसने खसरा नंबर 2004, 2008, 2017 खातेदार स्व0 देवीसिंह से क्रय करना बताया है जबकि खातेदार के समस्त वारिसान द्वारा बेचान नहीं किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन आदेश की आदेश दिनांक को जानकारी नही हो सकी थी । आदेश दिनांक 31.5.1995 की प्रथम बार जानकारी माह दिसम्बर 2018 को हुई जब प्रार्थी चन्द्रसिंह को ग्राम गोविन्दगढ़ के एक निवासी जिसने अपना पता बताने से मना करते हुए बताया कि खसरा नंबर 2005 रकबा 5 बिस्वा किस्म कुआं वाके ग्राम गोविन्दगढ़ जो प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमियों खसरा नंबर 2004, 2008 व 2017 से लगता हुआ है, जिसका नियमन रेस्पो0 नौरतमल ने अपने नाम करा लिया है । इस पर प्रार्थी ने उक्त आदेश व आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन दिनांक 27.12.2018 किया । दिनांक 27.1.2019 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 31.5.1995 विधिसम्मत् है । अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त चाह से लगती हुई आराजियात अपीलांट द्वारा ही जरिये पंजीकृत विलेख से रेस्पो0 संख्या 1 को दिनांक 17.8.1982 को विक्रय कर कब्जा व दखल सौपा गया था जिससे विक्रयशुदा आराजियात एवं चाह से अपीलांटस के समस्त हकों का विक्रय पत्र के साथ ही

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

समापन हो चुका है । उक्त चाह रेस्पो0 संख्या 1 को नियमन हुआ है जिससे अपीलांट कतई व्यथित एवं पीड़ित की श्रेणी में नहीं आता है तथा अपीलांट की उक्त चाह के पास कोई भूमि नहीं है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तत प्रार्थना धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाकर अपील इसी स्तर पर निरस्त की जावे

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने धारा 5 मियाद अधि0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि नियमन आदेश 31.5.1995 का है जिसकी प्रथम बार जानकारी दिसम्बर 2018 में होना अंकित किया है जबकि पक्षकारान के मध्य सन् 2005 से नामांतकरण की अपीलें एवं उसके पर्वू से नियमित राजस्व वाद विचाराधीन रहे है एवं नियमित राजस्व वाद रेस्पो0 के पक्ष में निर्णित हो चुके है । उक्त समस्त पत्रावलियों में राजस्व दस्तावेज पेश हुए है । उक्त आराजियात स्वंय अपीलांट से ही रेस्पो0 ने दिनांक 17.8.1982 को क्रय कब्जा प्राप्त किया है जिनमें उक्त आराजियात चाह साबिक खसरा नंबर 2005 हाल खसरा नंबर 2435 दर्ज है जिससे बरवक्त नियमन से ही अपीलांट को उक्त निर्णय की पूर्ण जानकारी थी फिर भी 24 वर्षो के भारी विलंब उपरांत यह अपील पेश की है जिसमें विलंब के संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाकर अपील भारी मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज की जावे ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजियात खसरा नंबर 2004, 2008 व 2017 अपीलांट से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17. 8.1982 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिनमें उक्त आराजियात चाह साबिक खसरा नंबर 2005 हाल खसरा नंबर 2435 भी दर्ज है । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपीलाधीन पारित करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया अपना नियमन आदेश पारित किया है जिसकी पालना में पूर्व में रेस्पो0 संख्या 1 को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा 10 वर्ष की लीजराशि जमा कराने के पश्चात् स्वतः ही खातेदार होने के आदेश प्रदान किये थे। नियमन आदेश को 10 वर्षो से अधिक का समय होकर रेस्पो0 चाह खसरा नंबर 2005 का खातेदार हो चुका है । इतनी लंबी अवधि उपरांत नियमन आदेश को निरस्त नही किया जा सकता है । अपीलांट ने रेस्पो0 परेशान करने की नियत से अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2005 पेज 735 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 2007 पेज 438 सुप्रीम कोर्ट, आर0आर0डी0 1999 पेज 98, आर0आर0डी0 1999 पेज 152, 389 हाई कोर्ट, आर0आर0टी0 2015 पार्ट–1 पेज 232 हाई कोर्ट एवं आर0आर0डी0 1983 पेज 676 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

10. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एंव धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

11. <u>प्रार्थीगण/अपीलांटस</u> ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि अपीलांटस विवादित आराजी खसरा नंबर 2005 रबबा 5 बिस्वा किस्म चाही के पड़ौसी खातेदार काश्तकार होकर नियमन के पात्र होकर हितबद्ध पक्षकार है । रेस्पो0 संख्या 1 नौरतमल को विवादित आराजियात का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र स्व0 देवीसिंह के वारिसानों द्वारा किये जाने पर रेस्पो0 संख्या 1 नौरतमल के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है । अपीलांटस ने रेस्पो0 संख्या 1 को विक्रय की गई भूमियों के संबंध में मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने का कथन किया है । अपीलांट

को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निस्तारण मान0 मण्डल द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में निर्णय में किया जावेगा किन्तु वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 खसरा नंबर 2005 किस्म चाह भूमि का नियमन के आधार पर रिकार्डेड खातेदार दर्ज है । ऐसी स्थिति में अपीलांट नियमन आदेश दिनांक 31.5.1995 से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं माने जा सकते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाता है।

12. अपीलांटस ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 31.5.1995 के विरूद्ध दिनांक 30.1.2019 को लगभग 23 वर्षो के भारी विलंब उपरांत अपील पेश की है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में निर्णय की जानकारी माह दिसम्बर, 2018 में ग्राम गोविन्दगढ़ के निवासी द्वारा होना बताया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पक्षकारान के मध्य कई वर्षो से विभिन्न न्यायालयों में विवादित आरायिजात के संबंध में प्रकरण चले जिनमें अपीलांट भी पक्षकार है । इसलिये अपीलांट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता कि उसे अपीलाधीन नियमन आदेश की जानकारी माह दिसम्बर, 2018 से पूर्व नहीं थी । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होते है । लगभग 23 वर्षो के भारी विलंब के संबंध में संतोषप्रद एवं उचित कारणों के अभाव में क्षम्य नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के उचित एवं संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये जाने से निरस्त किया जाता है ।

13. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी बाबूलाल कंसारा एवं नौरतमल कंसारा, निवासी गोविन्दगढ़ द्वारा दिनांक 31.5.1995 को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी, कैम्प गोविन्दगढ़ के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 2005 चाह रकबा 5 बिस्वा किस्म चाह वर्तमान में सिवायचक है । यह कुआं तथा संलग्न भूमि जरिये रजिस्ट्री के करीब 10 वर्ष पूर्व क्रय करने का कथन करते हुए इस कुएं से सिंचाई करने तथा काबिज होने का कथन कर नियमन हेतु निवेदन किया । अधी0न्याया0 द्वारा प्रेषित पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 'ख' नियम–9 के प्रपत्र 'ख' पर बाबूलाल कंसारा के हस्ताक्षर है । उक्त प्रपत्र पर सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि नौरतमल वल्द बाबूलाल कंसारा साकिन गोविन्दगढ का है । वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खसरा नंबर 2005 रकबा 5 बिस्वा किस्म चाह सिवायचक दर्ज है लेकिन उक्त चाह से प्रार्थी की खातेदारी भूमि सिंचित होती है तथा उक्त कुएं पर प्रार्थी का कब्जा है । खसरा नंबर 2004, 2008, 2017 उक्त चाह से सिचिंत होते है । पटवारी की उक्त रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि नौरतमल पुत्र बाबूलाल खसरा नंबर 2005 किस्म चाह का पड़ौसी काश्तकार था । उक्त समस्त जांच उपरांत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक 95 दिनांक 31.5.1995 को विवादित खसरा नंबर 2005 रकबा 5 बिस्वा किस्म चाह को कीमतन नियमन नौरतमल पुत्र बाबूलाल कंसारा, निवासी गोविन्दगढ़ के पक्ष में किया है । उक्त नियमन आदेश की शर्त संख्या 7 के अनुसार नियमन की गई भूमि गैर खातेदारी की रूप में आवंटन/नियमन की जाती है जो 10 वर्ष तक लीजमनी जमा कराने के पश्चात् स्वतः ही खातेदार हो जावेगा । रेस्पो0 संख्या 1 नौरतमल के पक्ष में नियमन दिनांक 31.5.1995 को किया गया है जिसकी शर्त संख्या 7 के अनुसार सन् 2005 में नियमन को 10 वर्ष होने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 नौरतमल को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधी0न्याया0 ने आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संपूर्ण तथ्यों की जांच कर विधिसम्मत् रूप से रेस्पो0 नौरतमल खातेदार काश्तकार के पक्ष में नियमन आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है ।

14. नियमन के लगभग 23 वर्षो के उपरांत अपीलांटस ने रेस्पो0 संख्या 1 की कयशुदा आराजियात बाबत् माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरणों के आधार पर मिलने वाले हक व अधिकारों के आधार पर अपीलाधीन नियमन आदेश को निरस्त कराने हेतु भारी मियाद बाहर यह अपील पेश की है तथा विलंब के भी ठोस एवं समुचित कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है ।

15. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित नियमन आदेश कमांक 95 दिनांक 31.5.1995 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

16. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0, धारा 5 मियाद अधिनियम तथा अपील निरस्त की जाती है । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित नियमन आदेश कमांक 95 दिनांक 31.5.1995 यथावत् रखा जाता है ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

17. निर्णय आज दिनांक 12.3.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर